न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 57/2024

अपीलांट – कमलसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी मंगलनगर (महाबार) तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स– तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 1131 दिनांक 07.11.1990 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री छैलसिंह, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 06.01.2026

1. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम महाबार तहसील बाड़मेर के नामान्तरकरण सं. 1131 पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 07.11.1990 के विरूद्ध दिनांक 02.12.2024 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा महाबार के खसरा नंबर 432 रकबा 21–08 बीघा एवं खसरा नंबर 394 रकबा 43–08 बीघा भूमि खातेदार अपीलांट के पिता सांगसिंह एवं मंगलसिंह पुत्र उतमसिंह कौम राजपूत सा.देह. के नाम खातेदारी में दर्ज थी। अपीलांट के पिता द्वारा समर्पण पत्र उतरदाता तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष पेश किया था जिसमें तहसीलदार बाड़मेर के आदेश क्रमांक 31 दि. 11.08.1988 के अनुसरण में स्वीकृत कर दिया। उक्त स्वीकृति के विरूद्ध अपील संख्या 57/2024 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:36:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 02.12.2024 को प्रस्तुत की गई हैं। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा महाबार के खसरा नंबर 432 रकबा 21–08 बीघा एवं खसरा नंबर 394 रकबा 43–08 बीघा भूमि खातेदार अपीलांट के पिता सांगसिंह व अन्य के नाम खातेदारी में दर्ज थी। जिसमें अपीलांट के पिता द्वारा खसरा नंबर 394 में प्राथमिक विद्यालय एवं आमजन की सुविधा हेतु स्वयं की खातेदारी के खेत में से विद्यालय तक 18 फीट रास्ता हेतु भूमि निशुल्क रास्ते हेतु समर्पण की गई। अपीलांट के पिता द्वारा समर्पण करते वक्त जो समर्पण पत्र उतरदाता तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष पेश किया था उसमें दोनो खसरों में 18 फीट चौड़ा रास्ता ही दिया था तथा इतने ही चौडे रास्ता की आवश्यकता थी, लेकिन उक्त नामान्तरकरण पारित करते समय अधिक भूमि की गलत तरमीम कर दी जिससे आलौच्य नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1131 अपास्त किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रकट किया कि समर्पण पत्र में 18 फीट रास्ता हेतु भूमि समर्पित की थी लेकिन [illegible] नामान्तरकरण पारित करते समय अधिक भूमि की गलत तरमीम कर [illegible] अपीलांट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं हो सकी। वर्तमान में काश्त करने से हल्का पटवारी द्वारा रास्ता की भूमि होना बता कर मना किया तो अपीलांट को अपने हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:36:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हकूक संशयप्रद लगे तब अपीलांट ने हल्का पटवारी से जानकारी हुई जिस पर अपीलांट ने उक्त नामान्तकरण की नकले मांगी जो नकल प्राप्त हुई। इस प्रकार जानकारी होने से अन्दर मयाद उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्‌भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र शामिल कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का भी निवेदन किया है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 1131 दिनांक 07.11.1990 निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा महाबार के खसरा नंबर 432 रकबा 21–08 बीघा एवं खसरा नंबर 394 रकबा 43–08 बीघा भूमि खातेदार अपीलांट के पिता सांगसिंह एवं मंगलसिंह पुत्र उतमसिंह कौम राजपूत सा. देह. के नाम खातेदारी में दर्ज थी। अपीलांट के पिता द्वारा समर्पण पत्र उतरदाता तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष पेश किया था जिसमें तहसीलदार बाड़मेर के आदेश क्रमांक 3171 दिनांक 11.08.1988 के अनुसरण में स्वीकृत कर दिया। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील संख्या 57 / 2024 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 02.12.2024 को प्रस्तुत की गई हैं। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का [illegible] अपीलांट का कथन है कि उक्त नामान्तरकरण [illegible] भूमि की गलत तरमीम कर दी जिससे आलौच्य [illegible] किये जाने योग्य है। इस पर तहसीलदार बाड़मेर से विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसमें ग्राम मंगलनगर (महाबार) के खसरा संख्या मूल 394 व 432 मे से पूर्व गै.मु.

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:36:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

रास्ता हेतु ख.नं. 2241/432 तथा 2229/394 रकबा क्रमशः 0–1619 हैक्टेयर तथा 0–1376 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। मौके पर उक्त भूमि यानि खसरा नंबर 2241/432 में सड़क लगभग 3 गठ्ठा चौडाई के बाद लगभग 0–154 बीघा (0–1214 हैक्टेयर) भूमि तथा खसरा नंबर 2229/394 मे से रास्ते हेतु 3 गठ्ठा चौडाई छोड़ने के बाद लगभग 0–11 बीघा यानि (0–0890 हैक्टेयर) भूमि रिक्त मौके पर खातेदार की तरफ बचती है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण में रास्ते हेतु समर्पण की गई भूमि की तरमीम रास्ते की व्यावहारिक आवश्यकता से अधिक की गई है ऐसे में समर्पण आदेश एवं उसके संलग्न प्रस्तावित नक्शे की तरमीम की जांच किये बिना अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1131 दिनांक 07.11.1990 में पारित किया गया है जो विधिविरूद्ध है जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा मंगलनगर (महाबार) के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 1131 दिनांक 07.11.1990 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए समर्पण हेतु प्रस्तावित नक्शे की जांच कर नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:36:17 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर